न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 229/2011

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. गायडराम पुत्र जोधाराम जाति-राईका, निवासी-बलुपुरा तह.-जैतारण जिला-पाली(राज.)		1.चन्द्राराम पुत्र धन्नाराम जाति-माली, निवासी-मालीयों की ढाणी राबडियावास तह.-जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 22.09.2011

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 26/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि राजस्व मौजा-बलुपूरा, पटवार हल्का-राबडियावास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली मे वाके आराजी खसरा नम्बर 37, रकबा 37-4 बीघा बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 122 रकबा 6-10 बीघा किस्म बारानी, खसरा नम्बर 123 रकबा 16-01 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा-3 कुल रकबा 59-15 बीघा की आई हुई हैं। जिसका वादी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है एवं माफिक खातेदारी के काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। इस आराजी में से खसरा नम्बर 37 रकबा 37 बीघा 4 बिस्वा के सम्बन्धित ही प्रतिवादी विवाद कर रहा है। इसलिये इस खसरा नम्बर 37 मौजा बलुपुरा की भूमि को ही इस वाद-पत्र मे आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वादी विवादित आराजी का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। मौके पर वादी की मूंग व बाजरी की फसल बोई हुई है। प्रतिवादी अब वादी के इस खातेदारी हक सुदा जमीन मे जबरदस्ती हस्तक्षेप व दखलदाजी कर बतौर अतिक्रमी के अपना कब्जा करना चाह रहा है। इसी कम मे प्रतिवादी वादी के इस आराजी की कुछ भू-भाग जो कि इस वाद-पत्र के साथ पेश नजरी नक्शे मे मार्क ए. बी.सी.डी. से दर्शाया जा रहा है। पर बतौर अतिक्रमी के कब्जा कर अपना पक्का कमरा बनाना चाह रहा है, जो कतई अनुचित है। यदि प्रतिवादी ऐसा दृष्कृत्य करने मे सफल हुआ, तो वादी अपनी साम्पैतिक आराजी से वंचित हो जायेगा व वादी को अपूरणीय क्षति होगी। दिनांक 21/09/2011 को प्रतिवादी ने मौके पर चुना, बजरी लाकर निर्माण कार्य करवाने की कुचेष्ठा की है । एवं वादी द्वारा समझाने के बावजूद भी नही मान रहा है तथा इस आराजी को लेकर प्रतिवादी आये दिन वादी के साथ वाद विवाद भी कर रहा है। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होने की पुरी संभवाना है। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद-पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया है। बिनायवाद दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

21/09/2011 को प्रतिवादी द्वारा मौके पर बजरी, पत्थर, व निर्माण सामग्री लाकर डालने एवं वादी की खातेदारी भूमि मे अतिक्रमण कर निर्माण कार्य शुरू करवाने पर बमुकाम-बलुपूरा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दरम्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है ।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। इस दौरान पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-राबड़ियावास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली कायमी तनकियात पर हैं। चूँकि वादी स्वयं खातेदार काश्तकार हैं और प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करता हैं। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-बलुपूरा, पटवार हल्का-राबडियावास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली मे वाके आराजी खसरा नम्बर 37, रकबा 37-4 बीघा बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 122 रकबा 6-10 बीघा किस्म बारानी, खसरा नम्बर 123 रकबा 16-01 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा-3 कुल रकबा 59-15 बीघा की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-राबड़ियावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें एकतरफा/इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०**

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

वादी	प्रतिवादी
1. गायडराम पुत्र जोधाराम जाति-राईका, निवासी-बलुपुरा तह.-जैतारण जिला-पाली(राज.)	1. चन्दाराम पुत्र धन्नाराम जाति-माली, निवासी-मालीयों की ढाणी राबडियावास तह.-जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु०न० :रा०वा० स०:229/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-बलुपूरा, पटवार हल्का-राबडियावास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली मे वाके आराजी खसरा नम्बर 37, रकबा 37-4 बीघा बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 122 रकबा 6-10 बीघा किस्म बारानी, खसरा नम्बर 123 रकबा 16-01 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा-3 कुल रकबा 59-15 बीघा की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला-पाली)

मोहर

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	05-00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner